UPSI180006912015

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अधिकारी- (Mayank Prakash), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02293

मूलवाद सं० - Civil Suit/305/2015

इस्लामुन आदि बनाम अब्दुल रहमान आदि

17.03.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादीगण को वाद बिन्दु सं0 2, 3 एवं 4 पर सुनवाई हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। आज पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2,3,4 नियत है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2–

वाद बिन्दु सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही न्यायशुल्क अदा किये जाने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादी ने विवादित सम्पत्ति की बाजारी दर के आधार पर वाद का मूलयांकन करते हुए न्यायशुल्क अदा किया है। उल्लेखनीय है कि यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के प्रतिवाद–पत्र के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद–पत्र के अभिकथनों पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। ऐसे में वादीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित होना साबित है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3–

वाद बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही न्यायशुल्क अदा किये जाने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादी ने विवादित सम्पत्ति की बाजारी दर के आधार पर वाद का मूलयांकन करते हुए न्यायशुल्क अदा किया है। उल्लेखनीय है कि यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के प्रतिवाद–पत्र के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद–पत्र के अभिकथनों पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। ऐसे में वादीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क उचित व सही होना साबित है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 3 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 4–

वाद बिन्दु सं0 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

वादीगण द्वारा प्लाट स्थल के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद लाया गया है, जिसकी सुनवाई का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस कारण वाद बिन्दु सं0 4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि0 22.04.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0 डि0)
महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2293

अजय/–

Digitally signed by Mayank Prakash
Date: 2021.03.17 17:05:08 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.